17/11/05	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० है। वादी द्वारा जिस आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार की सिवायचक भूमि दर्ज है जिस पर किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं इसलिए वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.02.05 15:19:26 IST
Reason: SelfAttested